सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1923 शकाब्द

संख्या-308

राँची, सोमवार 10 दिसम्बर, 2001

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 नवम्बर, 2001

विषय :—राज्य के नियंत्रणाधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी जाति को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करने हेतु रांची स्थित झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, रांची को अधिकृत करने के संबध में ।

संख्या-4268—बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए) अधिनियम, 1991 की धारा 2 (ञ) के अनुसार अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों से अभिप्रेत है, वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची-I और II में विनिर्दिष्ट है ।

2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 14-ग्र के अनुसार राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग की अनुशंसा पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-I अथवा अनुसूची-II में किसी जाति/वर्ग को यथास्थिति जोड़ या घटा कर उसे क्रमशः अत्यन्त पिछड़े या पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकती है या उससे हटा सकती है ।

3. अविभाजित बिहार में बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग गठित है, इस अधिनियम की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के लिए उसके द्वारा किये गये अनुरोध की जांच करता है और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर राज्य सरकार को इस संबध में सलाह देता है ।

4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 के प्रभावी हो जाने एवं बिहार सरकार द्वारा गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत नहीं किये जाने के कारण आयोग द्वारा दी गयी सलाह के आधार पर नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने में कठिनाई है ।

5. झारखण्ड राज्य में सम्प्रति पिछड़े वर्गों के लिए स्वतंत्र राज्य आयोग का गठन नहीं हुआ है। इस राज्य के क्षेत्रफल और यहां की जनसंख्या को देखते हुए इस राज्य में अभी इतने बड़े आयोग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पिछड़े वर्ग की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग के प्रति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई कर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए रांची स्थित झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान अपने कार्यों के अतिरिक्त यह कार्य करेंगे।

6. कंडिका-5 में वर्णित कल्याण शोध संस्थान को आवश्यक संसाधन प्रशासी विभाग (कल्याण विभाग) मुहैया करायेगी।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एस० के० चौधरी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 308—300+200—शनि मुण्डा।